कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

द्वितीय तल, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना–800015

दूरभाष :– 0612–2215895, वेबसाइट– krishi.bih.nic.in ई–मेल– diragri-bih@nic.in, diragri.bih@gmail.com

सका0आ0सं0–06 / स्था0कोर्ट–23 / 2019 ५५५ कृ0 / पटना, दिनांक 13-11-2019

सकारण आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–1488 / 2019 श्रीधर प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 28.01.2019 का सम्पूर्ण अंश निम्नवत् हैः–

"Heard the learned counsel for the petitioner and the State.

2. The petitioner has approached this Court for a direction to the respondents to grant him the benefit of first ACP in the scale of Rs. 6500-10,500/- and thereafter the benefit of second ACP in the scale of Rs. 10,000-15,200/- with effect from 09.08.1999 which has wrongly been denied to him. The further prayer of the petitioner is to pay him the arrears of the difference of salary after granting the benefits of first and second ACP with reference to the reckonable date.

3. Learned counsel for the petitioner has submitted that despite several representations to the Joint Director, Jute, Agriculture Department, Government of Bihar and Director, Agriculture Department, Government of Bihar regarding such anomaly in fixation of his pay and non grant of first and second ACP, nothing concrete has been done in that regard. Learned counsel for the petitioner further informs this Court that the petitioner has been given second ACP but has not been accorded the benefit of first ACP, to which he is entitled.

4. Let the petitioner represent afresh before the Director, Agriculture Department, Government of Bihar, Patna stating all details and enclosing a copy of the order passed in the present writ petition, within a period of three weeks from today which shall be disposed of by the Director, Agriculture Department, Government of Bihar, Patna within a further period of four weeks from the date of receipt of such representation. If the claim of the petitioner is found tenable, necessary/sequel order shall be passed not only with respect to grant of such financial benefit but also for fixation of his post-retiral dues."

2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उपर्युक्त न्यायादेश के आलोक में आवेदक श्री श्रीधर प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त सहायक निदेशक, कृषि विपणन (पाट), पूर्णियाँ के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना दावा अभ्यावेदन दिनांक 21.02.2019 समर्पित किया गया, जिसका सम्पूर्ण अंश निम्नवत् हैः–

"निवेदन है कि मैं सहायक निदेशक, कृषि विपणन (पाट) पूर्णियॉ के पद से दिनांक 28.02.2002 को सेवानिवृत्त हुआ हूँ।

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के ज्ञापांक–5035 दिनांक 18.12.2007 (क्रमांक–339) के द्वारा मुझे 09.08.1999 के प्रभाव से द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ 6500–10,500 / – के वेतनमान में दिया गया जबकि मेरे ही सदृश्य मेरे अन्य सहकर्मियो श्री सुबोध प्रसाद शर्मा (क्रमांक–100) श्री अब्दुल सत्तार (क्रमांक–101) एवं श्री विजय कृष्ण सिंह (क्रमांक–110) उसी आदेश के द्वारा प्रथम एवं द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ दिनांक 09.08.1999 के प्रभाव से वेतनमान क्रमशः 6500–10500 / – एवं 10000–15200 / – में दिया गया।

मेरे द्वारा अनेकों अभ्यावेदन दिये जाने के बावजूद मेरे अभ्यवेदनों पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया गया। संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट, बिहार, पटना के ज्ञापांक–2591 (शष्य) पाट, पूर्णियॉ दिनांक 24.06.2017 संलग्न कर श्रीमान् को मेरे उपरोक्त अनुरोध पर विचार करने हेतु श्रीमान् को अग्रसारित किया गया पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। मेरे द्वारा पूर्व में समर्पित अभ्यावेदन की छाया प्रतियॉ संलग्न।

अंततः बाध्य होकर मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सी0डब्ल0जे0सी0–1488/2019 दायर किया गया। उपरोक्त याचिका की सुनवाई के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका का निष्पादन आदेश दिनांक 28.01.2019 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा करते हुए यह निर्देश देने की कृपा की है कि मेरे द्वारा पुनः श्रीमान् के समक्ष न्यायालय के आदेश के साथ अभ्यावेदन समर्पित किया जायगा जिसं पर श्रीमान् के द्वारा चार सप्ताह के अन्दर निर्णय लेकर देय लाभों का भुगतान कर दिया जायगा एवं उस आधार पर सेवान्त लाभों का पुनरीक्षण कर अन्तर राशि का भुगतान भी किया जायेगा।

अतः श्रीमान् से विनम्र निवेदन है कि मेरे अभ्यावेदन पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए दिनांक 09.08.1999 के प्रभाव से प्रथम एवं द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ क्रमशः 6500–10,500/– एवं 10000–15,200/– के वेतनमान् में लेते हुए सभी देय लाभों का भुगतान सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय एवं तदनुकूल सेवान्त लाभों का भी पुनरीक्षण कर अन्तर राशि का भुगतान भी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर करवाने की कृपा की जाय।''

3. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त न्यायादेश के आलोक में आवेदक श्री सिंह के द्वारा समर्पित किये गये उपर्युक्त दावा अभ्यावदेन के संबंध में प्रशाखा द्वारा श्री सिंह के सेवापुस्त की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी, जिसके अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि श्री सिंह की प्रथम नियुक्ति जनसेवक/ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता के पद पर दिनांक 21.04.1963 को हुई थी, जहाँ श्री सिंह को कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 2587 दिनांक 25.02.1975 के द्वारा कृषि निरीक्षक के सम्वर्गीय प्रोन्नति के पद पर हुई थी, तथा श्री सिंह दिनांक 04.04.1975 को अपने प्रोन्नत पद पर योगदान समर्पित किये थे। तत्पश्चात् चूँकि श्री सिंह को दिनांक 04.04.1975 को ही प्रथम प्रोन्नति का लाभ प्रदान किया गया था तथा उन्हें द्वितीय प्रोन्नति का लाभ प्रदान नहीं किया जा सका था इसलिए उन्हें कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 5035 दिनांक 18.12.2007 (क्रमांक–339) द्वारा दिनांक 09.08.1999 तक की पूर्व की अवधि में मात्र एक ही प्रोन्नति प्राप्त होने तथा 24 वर्षों से अधिक की सेवा पूरी करने के कारण दिनांक 09.08.1999 को द्वितीय ए0सी0पी0 वेतनमान 6500–10500/– रूपये में प्रदान की गई थी। फलतः श्री सिंह को प्रथम प्रोन्नति का वित्तीय लाभ दिनांक 04.04.1975 को तथा द्वितीय प्रोन्नति के बदले में द्वितीय ए0सी0पी0 का वित्तीय लाभ दिनांक 09.08.1999 को प्राप्त हुआ है। साथ ही, चूकि श्री सिंह दिनांक 28.02.2002 को ही सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं इसलिए उन्हें तृतीय रूपान्तरित ए0सी0पी0 दिनांक 01.01.2009 को अनुमान्य नहीं है। ऐसी स्थिति से यह स्पष्ट है कि श्री सिंह को नियमानुसार प्रथम प्रोन्नति एवं द्वितीय ए0सी0पी0 का लाभ उनके प्रोन्नति के पद सोपान के वेतनमान में प्रदान किया जा चुका है, जिससे उन्हें दिनांक 09.08.1999 को प्रथम ए0सी0पी0 का लाभ वेतनमान 6500–10500/– रूपये में तथा द्वितीय ए0सी0पी0 का लाभ वेतनमान 10000–15200/– रूपये में अनुमान्य नहीं है। अतः आवेदक श्री सिंह का दावा नियमानुकूल नहीं है।

4. आवेदक श्री सिंह यह भी स्पष्ट करने में असफल रहे हैं कि सर्वश्री सुबोध प्रसाद शर्मा, अब्दुल सत्तार एवं विजय कृष्ण सिंह की नियुक्ति वास्तव में जनसेवक/ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता के पद पर ही हुई थी तथा वे तीनों कर्मी सम्वर्गीय प्रोन्नति प्राप्त करके ही प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि निरीक्षक एवं समकक्ष पद पर प्रोन्नत किये गए थे। जबकि प्रशाखा द्वारा उपस्थापित दिनांक 04.12.2007 को कृषि निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता

में सम्पन्न बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा (शष्य), कोटि–01 के कृषि निरीक्षक/प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के कालबद्ध प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति से संबंधित स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक की कार्यवाही दिनांक 04.12.2007 की कंडिका–02 से यह स्पष्ट हुआ है कि बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा, कोटि–01 (शष्य) में जिनकी सीधी नियुक्ति हुई उन्हें प्रथम वित्तीय उन्नयन 6500–10500/– रूपये एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन 10000–15200/– रूपये में दिये जाने का निर्णय लिया गया। लेकिन वैसे पदाधिकारी जो कनीय पद पर नियुक्त हुए लेकिन प्रोन्नति के फलस्वरूप वे प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष बने उन्हें सिर्फ द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ 6500–10500/– रूपये में दिये जाने का नियमानुसार निर्णय लिया गया। इससे भी यह स्पष्ट है कि चूकि आवेदक श्री सिंह प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि निरीक्षक एवं समकक्ष पद से कनीय पद अर्थात् जनसेवक/ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त हुए थे तथा वे जनसेवक/ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता के पद से प्रोन्नति पाकर प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि निरीक्षक एव समकक्ष पद पर आसीन हुए थे इसलिए उन्हें नियमानुसार सिर्फ द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 6500–10500/– रूपये में प्रदान की गई है, क्योंकि वे अपनी प्रथम प्रोन्नति का लाभ दिनांक 04.04.1975 को ही प्राप्त कर लिए थे। ऐसी स्थिति में श्री सिंह का संदर्भित दावा तथ्यात्मक एवं समुचित प्रतीत नहीं होता है।

5. उपरोक्त स्थिति में आवेदक श्री सिंह के उपर्युक्त दावा मामले में दिनांक 16.10.2019 को सम्पन्न स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक में आवेदक श्री सिंह के उपर्युक्त संदर्भित दावों को स्वीकृत करने में असहमति प्रदान की गई है। अतः मामले पर सम्यक् विचारोपरान्त आवेदक श्री श्रीधर प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त सहायक निदेशक, कृषि विपणन (पाट) पूर्णियॉ के दावा अभ्यावेदन दिनांक 21.02.2019 को अस्वीकृत किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री सिंह के साथ–साथ सभी संबंधितों को भी दे दी जाय।

ह0/–
कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 744 कृ०, पटना, दिनांक– 13-11-2019

प्रतिलिपि :– सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट, पूर्णियॉ/सरकारी अधिवक्ता न0–11, महाधिवक्ता का कार्यालय, उच्च न्यायालय पटना/श्री श्रीधर प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त सहायक निदेशक, कृषि विपणपन (पाट) पूर्णियॉ सम्प्रति मोहल्ला–साहिबान, हाता, पूर्णियॉ कोर्ट, स्टेशन रोड, जनता चौक, पूर्णियॉ, पो0+जिला–पूर्णियॉ, पिन–854301 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13.11.19
कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।